(34)

मेसर्स जे.जी. फॉउड्री लिमिटेड, मौजा–चिमोचक, कोठियां, जिला–पटना के द्वारा एम. एस. इनगॉट उत्पादन क्षमता विस्तार (28,800 टन प्रतिवर्ष से 76,800 टन प्रतिवर्ष) करने हेतु 8 टन क्षमता का अतिरिक्त 02 इन्डक्शन फर्नेस की स्थापना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक–17.03.2018 को पंचायत भवन, ग्राम + पोस्ट – मरची, थाना – बाईपास, पटना में आयोजित लोक–सुनवाई का वृत्त।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्यस्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी.ओ.आर. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या–14/SEIAA/17, दिनांक–21.04.2017 के आलोक में श्री वजैनउद्दीन अंसारी, अपर समाहर्त्ता, पटना की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक–17.03.2018 को अपराह्न 12:30 बजे पंचायत भवन, ग्राम + पोस्ट – मरची, थाना – बाईपास, पटना में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी–**अनुलग्नक–1.**

उक्त लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, रास्ट्रीय सहारा एवं आज के माध्यम से दिनांक–12.02.2018 द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

लोक–सुनवाई के दौरान श्री नन्द कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, पटना, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्राण पर्षद् द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि एवं इकाई के क्षमता विस्तार प्रस्ताव पर प्रकाश डाला।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री वजैनउद्दीन अंसारी, अपर समाहर्त्ता, पटना के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. एस. प्रसाद ने इकाई के उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्राण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आदि के संबंध में आम–जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि इकाई के पास 1.177 हेक्टेयर (2.91 एकड़) भूमि उपलब्ध है। मेसर्स जे.जी. फॉउड्री लिमिटेड के द्वारा 48,000 टन प्रति वर्ष एम एस बिलेट के अतिरिक्त उत्पादन के लिए 8 टन के दो अतिरिक्त इंडक्शन फर्नेस की स्थापना के द्वारा क्षमता में वृद्धि किया जाना है। प्रस्तावित विस्तार के पश्चात् एम एस बिलेट की कुल उत्पादन क्षमता 76,800 टन प्रति वर्ष की होगी। इसके लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण तथा विस्थापन की कोई समस्या नहीं है। प्रस्तावित परियोजना के लिये कच्चे माल की पूर्ति निकटवर्ती क्षेत्रों के स्पॉज आयरण परियोजना के द्वारा की जायेगी। प्रस्तावित परियोजना के लिये 20 घनमीटर भूमि जल की आवश्यकता होगी। इस इकाई से जल प्रदूषण की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इकाई में औद्योगिक कार्य हेतु कूलिंग मद में जल का उपयोग किया जायेगा तथा इसे बंद परिपथ में रखा जायेगा। इन्डक्शन फर्नेस में वायु–प्रदूषण के नियंत्रण हेतु फ्युम एक्सटेक्टर एवं मल्टी–साईक्लोन स्थापित किया जायेगा। फरनेश से जुड़ने वाली चिमनी की उंचाई 30 मीटर रखी जायेगी। परियोजना परिसर के 33 प्रतिशत क्षेत्र, 0.396 हे० (3961.67 वर्ग मीटर) को हरित पट्टी के रूप में विकसित किये जाने का भी प्रस्ताव है। वर्षा जल संचयन योजना भी प्रस्तावित है। कॉरपोरेट सामाजिक उदायित्व

के तहत परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत राशि क्षेत्र के विकास एवं लाभकारी योजना में व्यय किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं।

1. श्री नीरज कुमार, श्री गोविन्द कुमार, श्री कृष्ण कुमार एवं श्री सुवोध कुमार कोठिया – इनके द्वारा अवगत कराया गया कि फैक्ट्री के कार्य से ट्रक सामान लेकर आता जाता है जिसके कारण काफी धुलकण उड़ती है। सड़क क्षतिग्रस्त होता है। सड़क के किनारे वाहन खड़ा रहने के कारण गाँव वालो को आने–जाने मे असुविधा होती है। सड़क जाम होने के कारण बच्चों को विद्यालय/कोचिंग जोने में विलंब हो जाता है। फैक्ट्री से उड़ने वाले धुलकण के कारण फसल को नुकशान पहुँचता है। वायु एवं ध्वनी प्रदूषण हो रहा है इसके नियंत्रण एवं समाधान के लिए उपाय होना चाहिए।

   इस संबंध मे पर्षद पदाधिकारी श्री नन्द कमार द्वारा पुछा गाया है कि उक्त समस्या में जे.जी. फाउण्ड्री के कारण है अथवा अन्य उद्योग से भी।

   इनके द्वारा सुचना दी गई है दीदारगंज क्षेत्र में अवस्थित सभी उद्योगो के कारण यह समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए।

2. श्री रौशन कुमार यादव कोठिया – कारखाना लगने से प्रदूषण की समस्या इतना बढ़ गया है कि जिसमें लगता है कि हमलोग नरक में रह रहे है। इकाइयों द्वारा वृक्षारोपण नही किया गया है। समाज कल्याण के लिए खर्च नहीं किया जाता है हमलोगों का शोषण हो रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
3. श्री अरविन्द कुमार, श्री अनिल कुमार कोठिया – कारखाना से कोई नुकशान नहीं है। कारखाना में बिजली रहती है परन्तु हमलोगों के गाँव में बिजली नहीं रहती है। सड़क ठीक नहीं रहने के कारण साईकिल पंचर होता है इस समस्या का समाधान होना चाहिए।

4. श्री गोर्वधन प्रसाद, चौक शिकारपुर, पटना सीटी, श्री मणीलाल सिंह, रायबाग, श्री श्रवण कुमार एवं श्री शशी भूषण सिंह कोठिया इनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारा राज्य कृषि प्रधान है। कृषि के साथ–साथ उद्योग के बिना विकास संम्भव नहीं है। उद्योग के विकास के साथ–साथ उत्पन्न प्रदूषण की समस्या पर ध्यान देना आवश्यक है। इस क्षेत्र में कारखाना लगने से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुदृढ़ हुई है। स्थानीय लोगों को योग्यता के अनुसार रोजगार भी मिला है समय–समय पर सड़क भी इनके द्वारा ठीक कराया जाता है इसलिए आने वाले उद्योग को प्रोत्साहन देने को मेरा सुझाव है।

5. श्री शशी कांत सिंह कोठिया – लोक सुनवाई प्रभाव क्षेत्र के निकटवर्त्ती गाँव में होना चाहिए था। यह स्थल मेरे गाँव से लगभग 4.0 किलोमीटर की दूरी पर है । पहला बैठक का स्थगन संबंधी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कराया गया है। फैक्ट्री लगाने से मुझे खुशी है परन्तु प्रदूषण के कारण निराश भी। मेरा शिकायत किसी खास इकाई के विरुद्ध नहीं है। हम Sustainable Development

का पक्षकार हूँ। इसलिए इकाई से संभावित जल, वायु एवं ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण के लिए समुचित व्यवस्था होना चाहिए। परियोजना में उल्लेखित प्रावधानों का अक्षरसहः अनुपालन इकाई मालिक द्वारा किया जाना चाहिए साथ ही इसका मोनिटरिंग में स्थानीय लोगों का भी सहभागिता होना चाहिए। लोक सुनवाई से मुझे सकारात्मक उम्मीद है।

पर्षद के पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित स्थल के निकटवर्त्ती क्षेत्र में लोक सुनवाई हेतु किसी सरकारी/अर्ध सरकारी स्थल का चयन किया जा सकता है। तद्नुसार दिनांक 23.12.2017 को प्रस्तावित लोक सुनवाई इकाई के परिसर के बाहर खाली स्थान पर रखा गया था। लेकिन जिलाधिकारी पटना द्वारा अपरिहार्य कारणवश 23.12.2017 को प्रस्तावित बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थता जताई गई। यह पत्र पर्षद को 22.12.2017 के अपराहन् में प्राप्त हुआ। इसकी सूचना श्री सिंह को दे दी गई समयाभाव के कारण इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कराया जा सका। तदोपरांत लोक सुनवाई की दूसरी तिथि 17.03.2018 को अन्य स्थल पंचायत भवन मरची में निधारित की गई जो अधिसूचना के प्रवधानों के अनुकूल है।

अध्यक्ष द्वारा लोक–सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति अभार व्यक्त करते हुए इकाई के क्षमता विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक–सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

20/3/18

(नन्द कुमार)
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, पटना

20/3/18

(वजैनउद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,
पटना।